No. 49/83/2010-6SII
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 20th October, 2011.

To

As per list enclosed.

Subject:- नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण (एनसीए), इंदौर में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्ति ।

****

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of letter No. 36/9/2010-PR, dated 25th August, 2011, received from Government of India, Ministry of Water Resources (Project Wing), New Delhi, on the subject noted above and to request that in case you are willing to be considered for the post mentioned on the above subject you may kindly send three copies of your bio-data to the Personnel Department (Services Branch-II) at the earliest.

Yours faithfully,

(PAWAN SHARMA)
Superintendent Services-II.

INTERNAL DISTRIBUTION
e-champion

LIST

Sr.No.	Name of the Officer S/Shri/Smt.	Batch	Present Posting
1.	Jyoti Arora,IAS	1987	M.D.HVPN and Special Secretary, Power and Director, Power Reforms, Haryana.
2.	T.C. Gupta,IAS	1987	Director General-cum-Special Secretary, Town & Country Planning and Urban Estates, Director-cum-Special Secretary Urban Local Bodies and Project Director, Swaran Jayanti Shehri Rozgar Yojna and State Urban Development Society,Haryana.
3.	S.N. Roy,IAS	1987	Special Secretary to Govt., Haryana, Administrative Reforms Department.
4.	Avtar Singh, IAS	1987	Director General, Technical Education, Director-cum-Special Secretary, Environment Department
5.	Rajiv Arora,IAS	1987	M.D,HSIIDC and MD,Haryana Financial Corporation
6.	Tarun Bajaj,IAS	1988	Commissioner, Rohtak Division, Rohtak.
7.	T.V.S.N.Prasad, IAS	1988	Chief Administrator, Haryana Agriculture Marketing Board, Panchkula.
8.	Anil Kumar,IAS	1988	Special Secretary, Housing and Commissioner, Ambala Division, Ambala
9.	Mahavir Singh, IAS	1989	Special Secretary Finance and Director-cum-Special Secretary, Employment Department
10.	Arun Kumar, IAS	1989	Director General, State Transport, Haryana, Adviser, Civil Aviation, Haryana and Special Secretary, Civil Aviation and Transport Departments &Director, Renewable Energy, Haryana
11.	Shiv Raman Gaur, IAS	1989	Director-cum- Spl. Secretary, Information, Public Relations & Cultural Affairs and Grievances Departments and Additional Principal Secretary to CM.
12.	Krishan Kumar,IAS	1989	M.D.,Haryana Warehousing Corporation
13.	P. R. Vishnoi,IAS	1989	Special Secretary,Health Department
14.	Sudhir Rajpal,IAS	1990	Commissioner, M.C.,Gurgaon.
15.	Sumita Misra, IAS	1990	CEO, Haryana, Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Elections Department
16.	Ankur Gupta,IAS	1990	Managing Director,HARTRON,Special Secretary, Electronics & Information Technology and Director, Information Technology, Haryana
17.	Anurag Rastogi,IAS	1990	Excise and Taxation Commissioner, Haryana and Special Secretary, Excise & Taxation Department.
18.	Anand Mohan Sharan, IAS	1990	Additional Resident Commissioner,Haryana Bhawan,New Delhi and Administrator, TFAH, Director-cum-Special Secretary, Development & Panchayats Department. and Managing Director, Haryana Tourism Corporation and Director-cum-Special Secretary, Tourism & Hospitality Departments.
19.	Balraj Singh, IAS	1990	Director, Food & Supplies, Haryana and Special Secretary to Govt. Haryana, Food & Supplies Deptt. & MD, CONFED
20.	Satwanti Ahalawat,IAS	1990	Labour Commissioner, Haryana and Special Secretary to Govt. Haryana, Labour Department.
21.	Sant Kumar, IAS	1990	Transport Commissioner,Haryana and Special Secretary, Transport Department and Secretary O/o Lokayukta, Haryana
22.	Ashok Khemka,IAS	1991	Director General-cum-Spl. Secy., Social Justice & Empowerment.
23.	Vineet Garg,IAS	1991	State Project Director,Haryana Prathmic Shiksha Priyojna Parishad and Project Director, Rastriya Madhyamic Shiksha Abhiyan(RMSA).

24.	Anil Malik,IAS	1991	M.D.HAFED
25.	Sandeep Garg,IAS	1991	MD,HLRDC and Special Secretary, Agriculture Department **(On Training from 10.09.2011 to 08.10.2011)**
26.	A.K. Singh, IAS	1991	M.D.,Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam,Panchkula, Additional M.D. Haryana Vidyut Prasarn Nigam Ltd.
27.	H. S Malik, IAS	1991	Special Secretary, Revenue & Disaster Management-II Department, Director, Consolidation of Holdings, Director, Land Records, Haryana, Special Collector(H.Q.) and Special LAO, Haryana.
28.	Vimal Chandra,IAS	1991	Managing Director, Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd. (Sugarfed), Panchkula.
29.	Phateh Singh,IAS	1991	Director-cum-Special Secretary, Archives and Archaeology & Museums Department.
30.	M. P. Bansal,IAS	1992	Commissioner, Hisar Division, Hisar
31.	Pushp Raj Singh,IAS	1992	Special Secretary Home-I Department
32.	D.P. S. Nagal,IAS	1992	Chief Administrator, Haryana Urban Development Authority, Panchkula **(On Training from 22.08.2011 to 14.10.2011)**
33.	Mohinder Kumar,IAS	1992	Secretary to Governor, Haryana
34.	Ashok Kumar Yadav, IAS	1993	Director General -cum-Special Secretary, Agriculture
35.	T. K. Sharma,IAS	1993	Commissioner, Gurgaon Division, Gurgaon, Spl. Commissioner, Health & Nutrition, Chairman, Mewat Development Agency and assisting Dr. N.C. Saxena, who has been appointed Commissioner by Hon'ble Supreme Court in PUCL Vs UOI & Ors (W/P) © 196 of 2001.
36.	Balbir Singh Malik,IAS	1993	Director General-cum-Special Secretary,Higher Education
37.	S. K. Goyal, IAS	1993	Special Secretary, Irrigation and MD, HSMITC.
38.	R.P. Gupta,IAS	1993	Registrar, Cooperative Societies, Haryana

-1-

हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़ 26 SEP 2011 प्रशासन शाखा नं 84551

तत्काल
रिक्ति परिपत्र

सं. 36/9/2010-पीआर
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
(परियोजना स्कंध)

Chief Secretary's Office Receipt No. 84551 Dtd. 28/9/2011 Haryana

श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2011

सेवा में,

14. The Chief Secretary
Govt of Haryana
Chandigarh-160019

विषय: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए), इंदौर में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) के निर्णयों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इस मंत्रालय के तहत स्वायत्त अस्तित्व वाले नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) की स्थापना की है । वर्तमान में एनसीए इंदौर में मुख्यालय के साथ कार्य कर रहा है ।

2. वर्तमान पदधारक का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप एनसीए में कार्यकारी सदस्य का पद रिक्त हो गया है । एनसीए में कार्यकारी सदस्य के पद का वेतनमान 67000-79000/- रूपए है। इस पद को पक्षकार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी/ स्वायत्त/सांविधिक संगठनों के तहत कार्यरत और अनुलग्नक-। में दिये गये पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अधिकारियों में से बाहरी सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन अनुबंध सहित) नियुक्ति द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त पद के लिए कार्य का विवरण और कर्त्तव्य अनुलग्नक-।। पर दिये गए हैं ।

Branch 86319 Diary No. Date 30/9/11

3. चुने गए अधिकारी को बाहरी सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और उसके वेतन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 17.06.2010 और 1 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-।।) में शामिल प्रावधानों अथवा तत्पश्चात सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार विनियमित किया जाएगा । राज्य सरकार के अधिकारियों, जिनके वेतनमान 1.1.73 के पश्चात संशोधित किए गए हैं, के संबंध में उनके वेतन और भत्ते, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 26.12.1984 के का.ज्ञा.सं. 1/4/84-

Vacancy.hindi vi

स्था. (वेतन-II) अथवा किसी अनुवर्ती आदेश, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया हो, के द्वारा शासित किए जाएंगे ।

नर्मदा जल स्कीम के अनुसार, एनसीए का प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा और उनकी नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि उपयुक्त और इच्छुक अधिकारियों, जो कि पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और चयन की स्थिति में जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के नाम संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-III) में उनके विस्तृत जीवनवृत्त (आठ प्रतियां) और पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें/गोपनीय रिपोर्ट डोजियर सहित इस मंत्रालय को प्रेषित किये जाएं। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें / गोपनीय रिपोर्ट डोजियर सहित आवेदन पत्र इस मंत्रालय को तत्काल और राष्ट्रीय दैनिक अखबार में उक्त पद के लिए दिए गए विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए ।

5. कृपया इस बात की पुष्टि की जाए कि एनसीए में विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए जिन अधिकारियों के आवेदन इस मंत्रालय को अग्रेषित किए जाते हैं उनके विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला न तो लंबित है और न ही चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है । कृपया यह भी नोट किया जाए कि ऐसे किसी भी अधिकारी के अभ्यर्थन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा, जिनकी पिछले 5 वर्ष की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें/ गोपनीय रिपोर्ट डोजियर, सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, कोई दंड नहीं विवरण निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-IV, V एवं VI) में और संलग्न प्रपत्र में विवरण निर्धारित तारीख तक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं होते हैं ।

भवदीय

संलग्नक : यथोक्त

25/8/2011

(पी.के. वर्मा)
परामर्शदाता (एनसीए)
दूरभाष सं. 23714350

Vacancy.hindi vi

अनुलग्नक- I

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्ति संबंधी पात्रता मानदंड

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारियों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक संगठनों के वे अधिकारी जो :

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड) पर कार्यरत हों ; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित 37400-67000 रूपये के पे बैंड (पीबी-4) और 10000/- रूपये के ग्रेड वेतन (अथवा समतुल्य) में मुख्य अभियंता अथवा समतुल्य पद (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) पर कार्यरत हों ; अथवा

(iii) सेवा में समूह 'क' पदों अथवा समतुल्य पदों में न्यूनतम 25 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी, जिसमें कम से कम 1 वर्ष की नियमित सेवा मूल संवर्ग/विभाग में 37400-67000 रूपये के वेतन बैंड (पीबी-4) और 10000/- रूपये के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अर्थात मुख्य इंजीनियर अथवा समतुल्य पद में होनी चाहिए;

और

(ख) अधिकारी के पास नीचे दी गई योग्यताएं और अनुभव होने चाहिए :-

<u>अनिवार्य</u>

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री अथवा समतुल्य ।

(ii) अधिकारी के पास सिंचाई/विद्युत क्षेत्र में बड़ी, वृहद और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी/निष्पादन में कुल मिलाकर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा साथ ही पर्याप्त प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए ।

<u>वांछनीय</u>

अंतर्राज्यीय समस्याओं संबंधी कार्यों को देखने का अनुभव ।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अंशकालिक संविदा सहित) पांच वर्ष से अनधिक अवधि अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

Vacancy.hindi vi

बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर भर्ती के मामले में अधिवर्षिता की तारीख वह होगी जो मूल संगठन में लागू होगी ।

टिप्पणी 2 : केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अंशकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतया 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी । आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अंशकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी 3 : अधिकारी को लाभग्राही राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों से होना चाहिए ।

टिप्पणी 4: न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके 37400-67000 रूपये के वेतन बैंड (पीबी-4) और 10,000/- रूपये के ग्रेड वेतन (अथवा समतुल्य) में मुख्य अभियंता अथवा समतुल्य पद (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के अथवा समूह 'क' पदों अथवा समतुल्य पदों पर न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष की नियमित सेवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अर्थात 37400-67000 रूपये के वेतन बैंड (पीबी-4) और 10,000 रूपये के ग्रेड वेतन (अथवा समतुल्य) में मुख्य अभियंता अथवा समतुल्य पद पर होनी चाहिए, तथा एनसीए में ऊपर उल्लिखित अर्हताएं व अनुभव रखने वाले अधिकारियों पर एनसीए में कार्यकारी सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाया गया तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पणी 5: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, 1.1.2006 / वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है, के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किये गए संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, 1.1.2006 / वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है, के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय उनके जहां समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलयन हुआ हो और जहां यह लाभ केवल उन पद (पदों) को मिलेगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा ।

*****

Vacancy.hindi vi

अनुलग्नक-II

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) में कार्यकारी सदस्य के पद के लिए कार्य का विवरण और कर्त्तव्य

कार्यकारी सदस्य, एनसीए नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अनुच्छेद 6 क के अंतर्गत गठित एनसीए के चार पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्यों में से एक है । वह एनसीए के सचिवालय के लिए विभागाध्यक्ष होता है । एनडब्ल्यूडीटी पंचाट के निर्णयों, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देशों और केन्द्र सरकार के निर्देशों, आदि के अनुसार एनसीए का कार्य देखने के लिए अन्य तीनों स्वतंत्र सदस्य अर्थात, सदस्य (सिविल), सदस्य(पर्यावरण एवं पुनर्वास), सदस्य (विद्युत) और सचिव, एनसीए भी उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं । वह अध्यक्ष, एनसीए और सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अंतर्गत एनसीए के प्रशासनिक कार्यों का समग्र प्रभारी होता है । वह एनसीए के हाइड्रोमेट उप समूह का अध्यक्ष होता है जो जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा नेटवर्क के लिए उत्तरदायी होता है, नर्मदा मुख्य नहर उप समिति का अध्यक्ष होता है, जो सरदार सरोवर नहरों के निर्माण की फेजिंग एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है और एनसीए की सरदार सरोवर जलाशय नियमन समिति का अध्यक्ष होता है जो सरदार सरोवर जलाशय के प्रचालन के लिए कार्य तालिका बनाने एवं मध्य प्रदेश द्वारा जल को विनियमित रूप से छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होती है । वह सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की स्थाई समिति का भी अध्यक्ष होता है । वह एनसीए के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उप-समूह और पर्यावरण उप-समूह का सदस्य होता है और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का भी सदस्य होता है ।

अनुलग्नक-III

जीवन वृत्त प्रपत्र

1.	नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	:
3.	केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	:
4.	मूल आवास की स्थिति (क्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंध रखते हैं)	:
5.	शैक्षिक योग्यता	:
6.	क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है, तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)	:

	अपेक्षित योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1) (2) (3)	
वांछित	(1) (2)	

a

7. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के आधार पर आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं :

8. कालक्रमिक आधार पर रोजगार का विवरण दें । निम्न स्थान कम होने की दशा में आपके द्वारा यथा-हस्ताक्षरित एक अलग से कागज पर विवरण संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्था	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

9. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्ध-स्थायी अथवा स्थायी :

10. क्या मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है, कृपया उल्लेख करें : :
(क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख
(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
(ग) मूल कार्यालय/संगठन, जिससे आप संबंधित है, उसका नाम

11. मौजूदा रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरा :
कृपया, उल्लेख करें क्या निम्न के अंतर्गत कार्यरत हैं (संगत कॉलम के सामने नियोक्ता का नाम दर्शाये)
(क) केन्द्र सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) स्वायत्त संगठन
(घ) सरकारी उपक्रम
(ङ) विश्वविद्यालय
(च) अन्य

12. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड टू फीडर ग्रेड में हैं :

13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो जिस तारीख से संशोधन हुआ है उसका उल्लेख करें तथा संशोधन-पूर्व का वेतनमान भी दर्शायें :

14. इस समय कुल मासिक परिलब्धियाँ :

15. उक्त पद के लिए आपकी उपयुक्तता को समर्थित करने वाली अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो, जिसका आप उल्लेख करना चाहें :
(उपर्युक्त के साथ-साथ निम्न तथ्यों से संबंधित जानकारी भी दी जाए:
(i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव से ऊपर और आगे का अनुभव)
(टिप्पणी : यदि यह स्थान कम रहे तो अलग से कागज संलग्न करें) ।

16. कृपया, उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.)/ आमेलन/पुनर्नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं । (केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी केवल "आमेलन" हेतु पात्र हैं । गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं ।) :

17. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं :

18. टिप्पणी (उम्मीदवार संबंधित निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करें: :
    (i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट तथा विशेष प्रोजेक्ट
    (ii) अवार्ड/छात्र-वृत्ति/अधिकारिक सराहना (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/ संस्थाओं के साथ संबंध और (iv) अन्य कोई जानकारी ।

    (टिप्पणी: स्थान कम रहने पर अलग से कागज संलग्न करें)

मैंने इस रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि इस पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यथासमर्थित जीवन-वृत्त का मूल्यांकन किया जाएगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक....................
पता......................

प्रतिहस्ताक्षरित
....
....
(नियोक्ता द्वारा मुहर सहित)

(4)

अनुलग्नक-V

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय के --
---- पर पिछले 10 वर्ष के दौरान कोई बड़ा दण्ड/छोटा दण्ड नहीं लगाया गया है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर ------------------------------
पदनाम ------------------------------

अनुलग्नक- IV

सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र

-- के सेवा के अभिलेख, जिनके नाम पर -- आधार पर ------------------------------------- में ----------------------------------- के पद पर नियुक्ति लिए विचार किया जा रहा है, की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

दिनांक :

हस्ताक्षर ----------------------------
पदनाम ----------------------------